भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3072
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान सेवा में तकनीकी खराबी

3072. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले एक वर्ष के दौरान देश में सूचित तकनीकी खराबी और सुरक्षित, कुशल एवं विश्वसनीय हवाई सेवाएं प्रदान न कर पाने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा देश में सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार के पास हवाई यात्रा से संबंधित संरक्षा और सुरक्षा उपायों की जाँच के लिए कोई तंत्र है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस संबंध में विभिन्न विमान कंपनियों को जारी किए गए नोटिसों का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के हवाई सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): तकनीकी खराबियाँ विमान में होने वाली सामान्य घटनाएँ हैं जो विमान में लगे पुर्जों/प्रणाली/उपकरणों के ठीक से कार्य न करने/खराब होने के कारण हो सकती हैं। विमान को उड़ान के लिए रिलीज करने से पहले विमान में रिपोर्ट की गई सभी खराबियों को ठीक करने की ज़िम्मेदारी प्रचालक/एयरलाइनों की होती है।

वर्ष 2024 और 2025 में एयरलाइनों द्वारा रिपोर्ट की गई तकनीकी गड़बड़ियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	तकनीकी गड़बड़ियों की संख्या
2024	421
2025 (21 जुलाई तक)	190

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानों के सुरक्षित परिचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नागर विमानन विनियम स्थापित किए हैं। इन विनियमों को निरंतर अद्यतित किया जाता है और आईसीएओ एवं यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) के मानकों सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाता है। डीजीसीए समय-समय पर आईसीएओ मानकों के अनुसार अपने विनियमों में संशोधन करता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एयरलाइनों और उनके कार्मिकों की निगरानी, स्पॉट जाँच, रात्रि निगरानी आदि के तंत्र के माध्यम से सभी सुरक्षा और रखरखाव मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। निगरानी, स्थानीय जाँच और रात्रि निगरानी के दौरान प्राप्त टिप्पणियों/निष्कर्षों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एयरलाइनों को उपलब्ध कराया जाता है।

उल्लंघन की स्थिति में, डीजीसीए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है, जिसमें एयरलाइनों/कार्मिकों पर वित्तीय जुर्माना लगाने सहित चेतावनी, निलंबन, रद्दकरण शामिल किए जा सकते हैं।

*****